कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 298011 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक 424 दिनांक 04/03/2022

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी,
चुरी—बेंती अन्डरग्राउण्ड परियोजना,
एन. के. क्षेत्र, सी.सी.एल.
पो0— डकरा, जिला— राँची।

विषयः— चुरी—बेंती भूमिगत कोल परियोजना हेतु कुल हेतु कुल 281.174 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल— 65.84 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल— 215.33 हे0) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर स्थलीय निरीक्षण करने के संबंध में।

प्रसंगः— इस कार्यालय के पत्रांक 1946 दिनांक 02.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत कोल निर्माण हेतु अपयोजित होने वाले वन भूमि प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत समर्पित सभी प्रस्तावों में उनके द्वारा दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संशोधित ऑनलाईन प्रस्ताव समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु आपके द्वारा उक्त उल्लेखित बिन्दुओं का बिना निराकरण किए हुए हीं ऑनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। पुनः आग्रह है कि निम्नलिखित वांछित अभिलेख/कागजात ऑनलाईन प्रस्ताव के साथ समर्पित करते हुए ऑफलाईन प्रति इस कार्यालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु शीघ्र समर्पित किया जाय।

1. मैनुअल फार्म—ए पार्ट—1, एन.पी.भी./क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु राशि भुगतान करने से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, तिथि एवं हस्ताक्षर अंकित हो उसे ऑनलाईन पार्ट—1 के Additional Document में अपलोड किया जाय।
2. प्रस्ताव में समर्पित विवरणी जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किया गया है कि हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट—1 के Additional Document में अपलोड किया जाय।
3. फार्म—ए पार्ट—1 की कंडिका K (i) में वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण—पत्र मात्र राँची वन प्रमंडल से संबंधित रकबा का ही अपलोड किया गया है। इस प्रमंडल से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण—पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम बैठक कार्यवाही की प्रति Part-I में ऑनलाईन में अपलोड करते हुए संशोधित पार्ट—1 की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न करना अनिवार्य है।

अतः पुनः अनुरोध है कि उल्लेखित त्रुटियों के निराकरण के उपरांत प्रस्ताव समर्पित करने हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव वापस किया जा रहा है।

अनु0—यथोक्त

विश्वासभाजन,

04.3.2022

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

4/3/2022

Scanned with CamScanner